कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 36/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी बशीर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी।

––प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांकः–26.07.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के विरूद्व प्राप्त हुई।

अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी से कोई सूचना नहीं मिली है। सूचना दिलाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2019 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी ने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। सूचना दिलाने हेतु निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी से पत्रांक 570 दिनांक 24.07.2019 द्वारा प्राप्त जबाव का अवलोकन करने से इनके द्वारा अपीलार्थी को पत्र कमांक 448 दिनांक 31.05.2019 से सूचना के संबंध में न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाना पाया गया। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के कार्यालय में आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official